

पत्र संख्या : 7 वि.शा. / मु.रु.स.ज. - 06-04/2019-ज.सं. - 176.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 16/12/19

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभागान्तर्गत समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-२, राँची को जल संसाधन विभाग अंतर्गत कातिपय प्रस्तावित परियोजनाओं के परामर्शी के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार कराने के निमित्त रु. 614.98 लाख (छ: करोड़ चौदह लाख अन्तानबे हजार मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-53/2019-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.2019 एवं 54/2019-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.2019 Online AA-1628/15.10.19, 1627/15.10.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	800-अन्य व्यय/ 75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759	333.28
2.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 49S470180796750649	281.70
				614.98

आवंटित राशि - ₹ छ: करोड़ चौदह लाख अन्तानबे हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट शीर्ष 49S470180796750649 में उपबंधित राशि ₹ 1700.00 लाख (सतरह करोड़) तथा बजट शीर्ष 49S470180800750759 में उपबंधित ₹ 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा साथ ही स्वीकृत्यादेश में निर्धारित अवधि के अन्दर ही कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध द्वारा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रवयं सक्षम पदाधिकारी रूप से संलग्न की जायेगी।




(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 176

रॉची, दिनांक :— 16/12/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 176


रॉची, दिनांक :— 16/12/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 176

परिशिष्ट - 1

का अनुलग्नक

दिनांक 16/12/19

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-समाचार,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,


उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपर्युक्त राशि रु. 3300.00 लाख (तीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियाता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का			मार्च 2019 तक का	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन	योजना पर कुल अधारत आवंटन	On-line Allotment Access No.	अनुक्रम	
				प्रसंग	राशि	पूर्व का वर्तमान						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					25.00	0.00	0.00	16.25	16.25			
2					120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	77084		
3					9.95	0.00	0.00	9.95	9.95			
4					60.00	0.00	0.00	39.00	39.00			
5					148.08	0.00	0.00	148.08	148.08			
					योगा	0.00	333.28	333.28				

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ तौतीस लाख अठाईस हजार मात्र।


(राकेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र शरण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(कुमार कुमार सिंह) 14/12/19
अपर मुख्य सचिव

मँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शिर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शिर्ष-80-सामान्य,

लघु शिर्ष-796-जल-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शिर्ष-75-सर्वक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,

06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपत्र कोड - 49S470180796750649
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपयोग राशि रु. 1700.00 लाख (सातरह करोड) मात्र।


(राशि लाख रु में)

क्रं प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रसंग	राशि	प्राप्तसनिक स्वीकृति का		मार्च 2019 तक का वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन	योजना पर कुल अवधान आवंटन (8-10)	On-line Allotment Access No.	अनुचित		
					पूर्व का आवंटन	कुल आवंटन						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					18.18	0.00	0.00	13.65	13.65	13.65	द्वारा आमंत्रित RFP No.-06/2019-20	
2					23.23	0.00	0.00	17.45	17.45	17.45	द्वारा आमंत्रित RFP No.-07/2019-20	
3					139.00	0.00	0.00	69.50	69.50	69.50	द्वारा आमंत्रित RFP No.-03/2019-20	
4					10.71	0.00	0.00	8.05	8.05	8.05	द्वारा आमंत्रित RFP No.-08/2019-20	
5					80.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	द्वारा आमंत्रित RFP No.-10/2019-20	
6					89.30	0.00	0.00	58.05	58.05	58.05	द्वारा आमंत्रित RFP No.-14/2019-20	
7					63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	द्वारा आमंत्रित RFP No.-01/2019-20	
					योग	0.00	281.70	281.70	281.70			

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ एकासी लाख सत्तर हजार मात्र।

216
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Q
(संयोन्दन नाम्यण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


अंजलि कुमार सिंह)
14.12.19
अपर मुख्य सचिव